

सं० ए-12012/1/2010-प्रशा०-I

भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर 9300-34800 रु० के वेतन बैड (पीबी-2) + 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'सी', सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' के कुछ पदों का भरा जाना ।

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में 9300-34800 रु० के वेतन बैड (पीबी-2) के साथ 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'सी', सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' के कुछ पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है जो:

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हों या
- (ii) 2800 रु० के ग्रेड वेतन के साथ पीबी-1 के 5200-20200 रु० के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या
- (iii) 2400 रु० के ग्रेड वेतन के साथ पीबी-1 के 5200-20200 रु० के वेतनमान वाले पदों पर छः वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।
- (ख) नीचे दी हुई शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों:

अनिवार्य:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/भौतिकी/ सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/ वाणिज्य(सांख्यिकी के साथ)/कंप्यूटर विज्ञान अथवा समतुल्य में डिग्री:

टिप्पणी : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।

वांछनीय:

किसी कंप्यूटर संगठन में डाटा तैयार करने और इंदराज (एंट्री) करने का अनुभव और डाटा एंट्री कार्य की गति 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा से कम न हो ।

टिप्पणी : डाटा एंट्री कार्य के लिए 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का निर्णय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईडीपी मशीन(नो) पर गति परीक्षा का आयोजन करके किया जाएगा ।

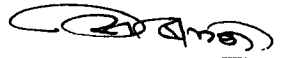
2. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. चयनित पदधारियों का वेतन समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/22/(बी)/2008-ईएसटीटी.(वेतन II) में उल्लिखित अनुदेशों अथवा इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इस प्रकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

4. पद के लिए आवेदन कर रहे पात्र पदाधिकारी अपने आवेदन उचित प्रणाली से भेजें । संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, इन मामलों में आवेदन अग्रेषित करते समय अभ्यर्थियों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट (अंतिम पांच वर्ष की) की अनुप्रमाणित छायाप्रतियां भी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 5 अक्टूबर, 2010 तक अवश्य भेज दें, क्योंकि इन पदों को जल्द ही भरे जाने की आवश्यकता है:-

- (i) इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि प्रोफार्मा में दर्शाया गया विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर लिया गया है और उसे सही पाया गया है ।
- (ii) इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी परिपत्र में निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं के अनुसार पात्रता मानदण्ड को पूरा करता है ।
- (iii) संवर्ग अनापत्ति प्रमाण पत्र, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और पिछले 10 वर्षों में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

5. उपरोक्त दस्तावेजों के बिना प्राप्त हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।



(के०जे० सिबिचन)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग

गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां

56
§ भारत के राजपत्र के भाग-11, संड-3, उपसंड-1 में प्रकाशनार्थ§

भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1996

अधिसूचना

सा0का0नि0 १०१०१० राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय में डाटा फ़्टी ऑपरेटर ग्रेड "सी" के पद पर भर्ती की पदति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: §1§ इन नियमों को "मंत्रिमंडल सचिवालय डाटा फ़्टी ऑपरेटर ग्रेड "सी" समूह "सी" पद भर्ती नियम, 1996" कहा जाएगा।

§2§ ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों से संबद्ध अनुसूची के कालम §2§ से कालम §4§ में दिए गए अनुसार होगा।

3. भर्ती की फ़्टी आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं: उक्त पद पर भर्ती की पदति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम §5§ से कालम §14§ में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

§क§ जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी फ़्टी जीवित है, विवाह किया है,

या,

§ख§ जिसने अपने पति या अपनी फ़्टी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

जारी १०/१०

अनुसूची

1. पद का नाम : डाटा फन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड "सी"
2. पदों की संख्या : चार § 4 §
3. वर्गीकरण : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, "सी" अराजपत्रित § अननुसचिवीय §
4. वेतनमान : 1400-40-1800-द.रो. -50-2300/-रु०
5. चयन अथवा अचयन पद : लागू नहीं
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का समयदा केन्द्रीय सिविल सेवा § पेंशन § नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं । : लागू नहीं
7. सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा : 26 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 40 वर्ष § अ.जा. / अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष § के शिथिल की जा सकती है।
- : टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी § न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पंगी उपखंड, अंदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है § ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य : आवश्यक : § 1 § किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/भौतिक शास्त्र/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य § सांख्यिकी सहित § कम्प्यूटर विज्ञान डिग्री अथवा समतुल्य, टिप्पण:- अर्हताएं, किसी अन्य प्रकार सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में, संयुक्त सचिव § प्रशासन § के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।
- यांछनीय : : किसी कम्प्यूटर संगठन में अंकड़े तैयार करने तथा प्रविष्टि करने का अनुभव ।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रेन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

: लागू नहीं

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

11. भर्ती की पद्धति: सीधी दरा भर्ती प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण दरा तथा विभिन्न पद्धतियों दरा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

: प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण दरा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती दरा ।

12. प्रेन्नति/स्थानान्तरण दरा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिससे प्रेन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा

: स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:

- §क§ §1§ जो नियमित आधार पर दृश्य पद धारण किए हुए हैं, या
 §11§ जिन्होंने 1350-2200/-रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और
 §111§ जिन्होंने 1200-2040/-रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है, और

§स§ जिनके पास कालम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

13. यदि विभागीय प्रेन्नति समिति है तो उसकी संरचना

: विभागीय प्रेन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- : 1. निदेशक/उप सचिव §प्रशासन§, मंत्रिमंडल सचिवालय-अध्यक्ष
 2. संयुक्त निदेशक §कम्प्यूटर§, मंत्रिमंडल सचिवालय-सदस्य
 3. अवर सचिव §प्रशासन§, मंत्रिमंडल सचिवालय-सदस्य

14. किन परिस्थितियों में : लागू नहीं
भर्ती करने में संघ
लोक सेवा आयोग से
परामर्श किया जाएगा

(1207)⁰₇₄

॥ राज सिंह ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

(i)
फाइल सं० ए-12018/2/96-प्रश्न० 1, दिनांक 31 अक्टूबर, 1996

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारत सरकार मंत्रालय,

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि:

1. शर्मक एवं प्रशिक्षण विभाग, भर्ती नियम अनुभाग ।
2. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग को उनके दिनांक 27.8.96 के यूओओ सं० 3748/96-एडवाइस"ए" अनुभाग, के संदर्भ में ।
3. भर्ती नियमावली/अधिसूचना फोल्डर ।

(1207)⁰₇₄

॥ राज सिंह ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

जीवनवृत्त का प्रोफार्मा

1.

नाम व पता साफ अक्षरों में

:
2.

जन्म-तिथि (ईस्वी सन में)

:
3.

केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन
सेवानिवृत्ति की तारीख

:
4.

शैक्षिक अर्हताएं

:
5.

क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं
पूरी करते हैं । (यदि किसी अर्हता को नियमों में
निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है तो उसका
प्रमाण दे ।)

	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	पदधारी की अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछित	(1)	
	(2)	

6.

कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आप द्वारा ऊपर
दी गई सूचना के मद्देनजर, आप इस पद की
अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं ।

:
7.

नियोजन का कालकमानुसार ब्यौरा,
यदि नीचे दी गई जगह पर्याप्त नहीं है
तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् प्रमाणित
की गई शीट अलग से संलग्न करें ।

:

मंत्रालय/विभाग	धारित पद	से	तक	वेतनमान व मूल वेतन	कार्य का स्वरूप
----------------	----------	----	----	-----------------------	-----------------

8. वर्तमान नियुक्ति की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या स्थायी :
9. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जो आप इस पद पर अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें । यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग शीट संलग्न करें :
10. अ.जा./अ.ज.जा. में से किससे संबंधित है :
11. अभ्युक्तियां

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख.....

पता.....

प्रति हस्ताक्षर
(नियोक्ता)